राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 9(6)राज–6/2000/4 जयपुर, दिनांक 19.3.2007

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने बाबत्।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में राजकीय भूमि से अतिक्रमण को हटाने के संबंध में व्यापक प्रावधान किये हुये है। धारा 91 के तहत यदि कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर बिना विधिसंगत प्राधिकार के कब्जा करता है या कर रखा है तो तहसीलदार ऐसे गैर कानूनी कब्जों को हटाने हेतु सक्षम है। ऐसे प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए जिसमें पूरे साल या उसके भाग में अतिक्रमी रहा हो, तो वह प्रथम कृत्य के लिए वार्षिक लगान का 50 गुना तक जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा।

अक्सर यह देखा गया है कि तहसीलदार/नायब तहसीलदार धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली का आदेश तो कर देते है परन्तु इसकी क्रियान्विति नहीं करते है जिससे बेदखली आदेश कागजों पर ही रह जाते है और लोगों में अतिक्रमण की प्रवृति बढ जाती है। अतः यह आवश्यक है कि बेदखली के आदेश के साथ ही अतिक्रमी को मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया जाए। यदि इस बेदखली में पुलिस बल की आवश्यकता हो तो इसके लिये पुलिस विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

धारा 91(2) में यह भी प्रावधान है कि द्वितीय अतिक्रमण या इसके बाद के अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को 3 माह तक के लिए सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। इस प्रावधान के उपयोग करने से पहले यह आवश्यक भी है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाए।

धारा 91 (6)(क) में यह प्रावधान है कि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के नोटिस देने के बावजूद 15 दिन के अन्दर अतिक्रमी अपना कब्जा नहीं छोड़ता है तो दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से जो एक माह से कम नहीं होगा किन्तु तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक हो सकेगा, की सजा से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 91 (6)(ख) में यह प्रावधान भी है कि जिला कलेक्टर के लिखित आदेश के बावजूद यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जानबूझकर अथवा जानकारी में होते हुये भी इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जे को रोक पाने या हटाने में लापरवाही बरतता है तथा जानबूझकर गैर कानूनी कब्जे को नहीं हटाता है तो उसे एक माह का कारावास या 1,000/– रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है परन्तु उक्त प्रावधानों का उपयोग अपवाद स्वरूप ही किया जाता है जबकि कठोर प्रावधान करने का उद्देश्य ही यह था कि अतिक्रमण की प्रवृति पर रोक लगाई जा सके।

राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश क्रमांक प. 6(8)राज–6/91/13 दिनांक 20.7.94 जारी करके अतिक्रमण हटाने हेतु यदि आवश्यक हो तो पुलिस की सहायता ली जा सकती है, जारी किया गया था किन्तु राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि उपरोक्त आदेशों/परिपत्रों की कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है।

अतः एतद् द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि अतिक्रमण को हटाने हेतु नियमों के तहत् कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

19.3.07
(के.जी. अग्रवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
4. शासन सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
5. समस्त अनुभाग, राजस्व विभाग।

19.3.07
उप शासन सचिव